परिषद्ं के उपयोगी प्रकाशन

सामान्य प्रकाशन	मूल्य (रु०) प्रेषण व्यय अतिरिक्त
1. कार्यालय सहायिका	6.00
2. गजट अधिसूचनाओं के नमूने	0.30
3. आवेदन प्रारूप	0.30
4. नेमी कार्यालय टिप्पणियां	0.80
5. चतुर्थ श्रेणी चर्मचारियों सम्बन्धी मसौदे	1.00
6. कार्यालयों के हिन्दी नाम	0.50
7. सामान्य प्रशासन : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1.00
8. प्रशासनिक शब्दावली (हिन्दी-अंग्रेजी)	1.00
9. द्विभाषी फार्म	1.20
10. देवनागरी में तार (हिन्दी, मराठी संस्करण)	0.60
11. स्थापना कार्य : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1.50
12. तारों के हिन्दी प्रारूप	1.00
13. सेवा पंजी प्रविष्टियां	0.40
14. हिन्दी कार्यशालाएं	0.50
15. संघ की राजभाषा	1.00
16. राजभाषा हिंदी-आवश्यक केन्द्रीय नियम	0.40
विशेष प्रकाशन	
17. लोक निर्माण : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1.50
18. राज सम्पत्ति : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1.50
19. तार परियात : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1.20
20. निर्वाचन कार्य : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1.00
21. माल पूर्ति : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1.00
22. कर्मचारी बीमा : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1 00
23. लेखा परीक्षा : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1.50
24. जीवन बीमा : टिप्पणियां तथा प्रारूप	1.00
25. रेलवे माल वहन	1.20
26. परिसीमा अधिनियम	2.00
27. आयकर शब्दावली एवं टिप्पणियां	5.00

परिषद कार्यालय के अतिरिक्त **जनता बुक डिपो, लेडी हार्डिंग रोड, नई दिल्ली** से भी मंगाए जा सकते हैं।

श्री एस० सागर द्वारा बंगाल प्रेस, दिल्ली-6 में मुद्रित।

वह दिन

ऐतिहासिक था

जब भारत स्वतन्त्र हुआ

वह दिन

महत्त्वपूर्ण था

जब भारत में गणराज्य की घोषणा हुई

वह दिन

गौरवपूर्ण होगा

जब देश का प्रशासनिक काम भारतीय भाषाओं में होगा

26 जनवरी 1965 से

हिन्दी भारतीय संघ की प्रमुख राजभाषा है

हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि

★ अपने कार्यालय का काम हिन्दी में करें
★ फाइलों पर टिप्पणियां हिन्दी में लिखें
★ पत्र व्यवहार हिन्दी में करें।

यदि हिन्दी लिखने में व्याकरण की या और किसी तरह की गलती हो, उसकी बिल्कुल चिन्ता न करें। थोड़ी हिन्दी जानते हों, तब भी लिखना शुरू करें। कुछ दिन के अभ्यास से भाषा अपने आप सुधर जायगी और सरल मालूम होने लगेगी।

निवेदक

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली

कर्मचारी बीमा :

टिप्पणियां व प्रारूप

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों और टिप्पणियों आदि के नमूनों का संकलन

Compilation of specimen of letters, notes etc. written in the offices of the Employees State Insurance Corporation.

प्रथम संस्करण 5000
द्वितीय संस्करण 5000

(मूल्य 1.00 रु॰

विषय सूची

आमुख

यह अब तक सिद्ध हो चुका है कि जो काम अंग्रेजी में होते रहे हैं, उन्हें हिन्दी में करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। जब तक हिन्दी में काम करना आरम्भ न कर दिया जाए तब तक ही संकोच रहता है कि हिन्दी में उचित शब्द कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे और उसमें विचार कैसे ठीक प्रकार से प्रगट किए जा सकेंगे। परन्तु एक बार हिन्दी में लिखना प्रारम्भ करके उस क्रम को जारी रखा जाए तो कुछ दिन में ही उचित शब्द स्वयं सामने आने लगते हैं और विचार प्रवाह में कोई कठिनाई नहीं होती।

अंग्रेजी के विभिन्न तकनीकी शब्दों के पर्याय काफी समय पूर्व तैयार हो चुके हैं। अधिकांश शब्द पाठकों के लिए पहले ही जाने पहचाने होंगे। हो सकता है कि हमें कभी कोई शब्द नया भी दिखाई पड़ जाए। परन्तु वह नयापन एक-दो दिन ही मालूम होगा। कुछ ही दिनों में, उपयोग करने से, वही शब्द हमें चिर-परिचित दिखाई पड़ेंगे।

सरकारी कार्यालयों के विभिन्न विभागों के कामों में हिन्दी का प्रयोग सरल बनाने के उद्देश्य से परिषद् ने अनेक प्रकाशन तैयार किए हैं, जिनमें उन विभागों की टिप्पणियां और प्रारूप उनके हिन्दी रूपान्तर के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। कभी-कभी पाठकों को अकेली शब्दावली नीरस मालूम हुआ करती है। परन्तु जब वे शब्दों को वाक्यों के बीच में पढ़ते हैं और उन्हें उनका अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होती तब उन्हें उन शब्दों और अपने बीच कोई दूरी नहीं दिखाई पड़ती और उनकी स्वयं ऐसी इच्छा होती है कि वे उन शब्दों को बार-बार अपने वाक्यों में प्रयोग में लाएं। परिषद् के प्रकाशनों ने यह दूरी हटाई है और उनसे अनेक व्यक्तियों ने सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग करने की प्रेरणा ली है।

प्रस्तुत पुस्तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभिन्न कार्यालयों में होने वाले काम के कुछ नमूनों का संग्रह है। इस पुस्तक में दी गई टिप्पणियां और प्रारूप केवल उनके हिन्दी रूपान्तर से परिचय कराने के लिए हैं, इन्हें अधिकृत आदेश न समझा जाए। आशा है प्रस्तुत सामग्री उत्साही कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए मार्ग दर्शन करेगी। निगम का सम्बन्ध जनता के ऐसे वर्ग से है जो प्राय: अंग्रेजी नहीं जानता और जिसके साथ पत्र-व्यवहार आदि हिन्दी में करने से उनको काफी सुविधा हो सकती है।

इस पुस्तक की सामग्री का संकलन, सम्पादन व अनुवाद सर्वश्री रघुनाथ सहाय तथा हरिबाबू कंसल ने किया है। इसका प्रकाशन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अनुदान से हुआ है। परिषद् उन सबकी आभारी है।

—महामन्त्री

चैत्र सं॰ 1900 शक] केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्

प्राक्कथन

यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नेमी कामकाज के प्रारूपों और टिप्पणियों का एक भव्य संकलन तैयार किया है और उसे अंग्रेजी और हिन्दी के द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस निगम का कार्य-क्षेत्र हजारों-लाखों ऐसे कर्मचारियों तक फैला हुआ है, जिनको अंग्रेजी भाषा का सम्यक् ज्ञान नहीं है। ऐसे अधिकांश कर्मचारियों तक इस निगम की सेवाओं का लाभ पूरी तरह से पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि निगम के कामकाज में हिन्दी भाषा का उपयोग क्रमशः बढ़ाया जाए।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तिका की सहायता से निगम के बहुत से कर्मचारियों और अधिकारियों को अपना काम-काज हिन्दी में करने में सुविधा होगी। इसके लिए केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की इस निगम की शाखा और उसके सभी उत्साही कार्यकर्ता हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है इस पुस्तिका का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाएगा।

टी०सी०पुरी
महानिदेशक

योजना का विस्तार
Extension of Scheme

1. 26 फरवरी, 1966 की अर्ध रात्रि से पंजाब राज्य के सरहिन्द क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है। इसके फलस्वरूप योजना के अन्तर्गत......और कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

The ESI scheme has been extended to Sirhind in the State of Punjab from the midnight of February 26, 1966. As a result,.........more employees will get benefit under the Scheme.

2. इस क्षेत्र में चिकित्सा (डाक्टरी) देख-भाल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा सेवा-पद्धति के अन्तर्गत की जाएगी। इस उद्देश्य से इस क्षेत्र में एक डाक्टर वाले एक औषधालय की व्यवस्था की गई है।

Medical care in this area will be provided by the State Government under service system. For this purpose one dispensary with a doctor has been provided in the area.

3. बीमाकृत व्यक्तियों को नकद लाभ संवितरण के लिए एक उप-स्थानीय कार्यालय भी स्थापित किया गया है।

A sub local office has also been set up for disbursement of cash benefit to insured persons.

4. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 20 मार्च, 1966 को वह दिन निश्चित करती है जब से उक्त अधिनियम के अध्याय IV के उपबन्ध पश्चिमी बंगाल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में
जाएंगे

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 20th day of March, 1966 as the date on which the provisions of Chapter IV of the said Act shall come into force in the following areas of the State of **West Bengal**:

5. पहली अप्रैल, 1966 से पहली मार्च, 1967 के बीच की अवधि में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के लाभ-उपबंध ....कर्मचारियों की संख्या वाले..........और केन्द्रों पर लागू किए गए। इस अवधि में..........परिवार (बीमाकृत व्यक्तियों की) यूनिटों के लिए चिकित्सा देख-भाल का विस्तार किया गया।

During the period from 1st April, 1966 to 1st March, 1967 the benefit provisions of the Employees' State Insurance Act were extended to cover........ more centres with a total No. of............employees. Medical care was extended to.........family (insured persons) units during the period.

6. कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क तथा मद्रास कर्मचारी राज्य बीमा (डाक्टरी लाभ) नियम, 1954 के अनुसार जो डाक्टरी लाभ मिलते हैं उन्हें मद्रास राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों के बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को भी दिया जाएगा।

The medical benefits as laid down in Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, and the Madras Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules 1954, shall be extended to the families of the insured persons in the following areas of the State of Madras.

7. हम योजना को कर्मचारियों के उन वर्गों पर लागू करने में प्राथमिकता देते रहे हैं जिन्हें इस समय कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। उन वर्गों को बाद में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें किसी न किसी प्रकार का कोई संरक्षण मिला हुआ है, भले ही वह पर्याप्त न हो।

We have been giving prioity to extending the Scheme to those groups of workers who have no protection at all at present. Those groups which have some measure of protection even if it is not quite adequate, will be covered later.

8. कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करने में विलम्ब अधिकांश रूप में औषधालयों के लिए उचित जगह प्राप्त करने, चिकित्सकों के प्रबन्ध आदि की कठिनाइयों के कारण हुआ है।

The delay in the implementation of the ESI Scheme has been largely due to difficulties regarding the acquisition of suitable premises for the dispensaries, the arrangement for medical personnel, etc.

व्याप्ति

Coverage

1. पेट्रोल-वितरण पर लगे व्यक्तियों के अधिनियम के अधीन होने के प्रश्न पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि पेट्रोल डिपों में पेट्रोल वितरण का कार्य डिपो के कार्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है इसलिए सीधे वितरण कार्य पर लगे कर्मचारी अधिनियम-अधीन कर लिए जाने चाहिएं।

The question of coverage under the Act of persons engaged on the distribution of petrol has been considered and it has been decided that the work of distribution of petrol in a petrol depot is intimately connected with the work of the depot and as such employees engaged on direct distribution should be covered.

2. होटलों और रेस्तरों को अधिनियम के अन्तर्गत रखने का प्रश्न विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय किया जाता है कि होटलों तथा रेस्तरां को तभी अधिनियम-अधीन किया जाए जबकि शक्ति द्वारा प्रचालित निर्माण-प्रक्रिया में ही काम करने वालों की संख्या बीस या उससे अधिक हो।

The question of coverage of Hotels and Restaurants has been under consideration. It is now decided that Hotels and Restaurants may be covered under the Act only if the number of persons exclusively working on the manufacturing process carried on with the aid of power is twenty or more.

3. इस ओर संकेत किया गया है कि जो कारखाने ईंट तथा टाइल बनाते हैं. वे वर्षा ऋतु में बन्द रहते हैं। इस अवकाश काल में कर्मचारी अपने-अपने गांव वापस चले जाते हैं तथा वे लाभ ग्रहण नहीं कर पाते।

It has been pointed out that the factories engaged in the manufacturing of bricks and tiles do not work during monsoon season. The workers go back to their respective villages during the off season and they are not able to avail of the benefits.

4. इसमें सन्देह नहीं कि कारखाना बारहों महीने चलता है और ऊपर लिखी वस्तुएँ बनाता रहा है। किन्तु मेरा विचार है कि इसमें माल तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसके कारण यह अभी भी ऋतुकालिक ही है। निर्माण प्रक्रिया का स्वरूप ही किसी कारखाने को ऋतुकालिक बना देता है चाहे वह साल भर चलता रहता हो।

There is no doubt that the factory is running throughout the year and is manufacturing articles referred to above. But I am of the view that it is still a seasonal factory on account of the manufacturing process that is being carried on there. It is the nature of manufacturing process that makes a factory seasonal one, irrespective of its working throughout the year.

5. कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (जिसकी प्रति संलग्न है) से इस स्थिति की पुनः पुष्टि होती है कि स्टूडियो एक कारखाना ही है क्योंकि उसमें कच्ची फिल्म को तैयार या अर्ध-तैयार फिल्म में परिवर्तित किया जाता है।

The judgement delivered by the Calcutta High Court (copy enclosed) reaffirms the position that a studio is a factory by virtue of the fact that the raw film is converted into finished or semi-finished film.

6. जिस व्यक्ति को फैक्टरी के प्रबन्धक की पदसंज्ञा दी गई है वह सभी परिस्थितियों में धारा 2(12) के प्रयोजन के लिए 'कार्यरत व्यक्ति' माना जाएगा भले ही वह मालिक, निदेशक या साझेदार भी हो और चाहे उसे प्रबन्धक की हैसियत से कोई विशेष पारिश्रमिक न मिलता हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि कारखाने का नियमित प्रबन्ध और कुछ नहीं 'काम' ही माना जाएगा।

A person designated as the manager of the factory, will in all circumstances be counted as a 'person working' for the purposes of Section 2 (12), even he also happens to be the proprietor, director or partner and even when he is not in receipt of any special remuneration as manager. This is so because regular management of the factory cannot but be regarded as 'work'.

7. प्रश्न उठा है कि क्या वे ड्राइवर तथा अन्य कर्मचारी जो रेलवे स्टेशन गोदाम आदि और कारखाने के अहाते के बीच कच्चा या तैयार माल ढोने के लिए सीधे प्रधान नियोजक द्वारा रखे जाते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत 'कर्मचारी' हैं। न्यायालयों के हाल ही के निर्णयों के अनुसार 'कारखाने का काम' वहीं समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए जबकि तैयार माल कारखाने के अहाते से बाहर निकल जाता है।

A question has arisen as to whether Drivers and other staff directly employed by principal employer for carrying raw material or finished

goods between railway station, godown etc. and the factory premises, are 'employees' under the E. S. I. Act. In view of recent judgements of the courts on the subject the 'work of factory' should be deemed to end at the stage when finished goods leave the factory premises.

8. क्षेत्रीय निदेशक को सलाह दी जाती है कि ठेकेदार के वे कर्मचारी जो बिजली विभाग में खुदाई करने, खम्बे लगाने और तारें आदि खींचने के काम में लगाए गए हों, उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आया न माना जाए क्योंकि उनका काम कारखाने की इमारत से ही सम्बन्धित है और वे प्रधान नियोजक की देख-रेख में भी काम नहीं करते।

The Regional Director is advised that the contractor's labour engaged in digging, fixing of poles and pulling of wires etc. in Electricity Deptt. may not be treated as covered under the E. S. I. Act, as their work is merely connected with the work of the factory building and they also do not work under the supervision of the principal employer.

9. फार्म एस० सी०-1 में दिए गए विवरण के आधार पर कारखाने को 31 जनवरी, 1962 से अधिनियम के अधीन माना गया था तथा नियोजक को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए कहा गया था।

On the basis of the information given in Form SC-1, the factory was treated as covered with effect from 31st January, 1962 and the emlyoyer was asked to comply with the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948.

10. 17 जुलाई, 1966 को बीमा निरीक्षक ने उक्त कारखाने के निरीक्षण के दौरान, कारखाने के अहाते में स्थित शो-रूम तथा कार्यालय में काम करने वाले 21 व्यक्तियों पर अधिनियम लागू होने का प्रश्न उठाया। विचार करने पर अन्ततः यह निर्णय किया गया है कि उक्त 21 व्यक्तियों में केवल सात व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के अन्तर्गत आते हैं।

The Insurance Inspector, during his visit on 17th July, 1966, to the above factory, raised the question of coverge of 21 persons working in the Office and Show Room of the factory situated in the premises of the

factory. On examination it was ultimately decided that only 7 out of the above 21 persons are covered under Section 2(9) of the ESI Act, 1948.

11. मुझे आपको सूचित करना है कि सर्वश्री····· कारखाना को (दिनांक) ·········से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आया हुआ/नहीं आया हुआ माना गया है। कारखाने के लिए कूटसंख्या······नियत की गई है। कारखाना·········स्थानीय कार्यालय तथा·········औषधालय से सम्बद्ध किया गया है।

I have to inform you that the factory M/s.........has been treated covered/uncovered with effect from........under the Employees State Insurance Act, 1948. The code number allocated to the factory is .... The factory is attached to.........Local Office and........ dispensary.

12. क्या प्लेटें गर्म करने, कपड़े की छपाई करने या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए भाप का प्रयोग कारखाना अधिनियम की धारा 2(छ) के अनुसार 'शक्ति का प्रयोग' ही माना जाए—इस प्रश्न पर मुख्य कारखाना सलाहकार से परामर्श करके विचार किया गया है। उनकी राय है कि प्लेटें गर्म करने के लिए प्रयोग में लाई गई भाप 'शक्ति' नहीं कहला सकती क्योंकि इस प्रक्रिया में शक्ति का पारेषण यांत्रिक नहीं है। हां, यदि भाप का प्रयोग किसी मशीन चलाने में किया जाए तो वहां यह 'शक्ति' कहलाएगी क्योंकि उसमें भाप यांत्रिक रूप से पारेषित होती है।

The question whether the use of Steam for heating plates, for the purposes of printing of cloth or for any other purpose amounts to the use of 'POWER' as defined in Section 2(g) of the Factories Act, 1948, has been examined in consultation with the Chief Adviser of Factories, who has opined that the use of Steam 'for heating plates only does not amount to use of power, as the process does not involve any mechanical transmission of energy. If, however, the steam is used for driving a machine, it is 'POWER' as the steam is mechanically transmitted.

पंजीकरण तथा दस्तावेजों का तैयार करना
Registration & Preparation of Documents

1. बीमाकृत व्यक्तियों की पंजीकरण पद्धति से सम्बन्धित छपी हिदायतों (अनुदेशों) के पैरा 91(7) के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय के अनुमोदन के बिना, किसी दस्तावेज पर मूल घोषणा फार्म में दिए गए नाम, पिता का नाम, बीमा नम्बर तथा आयु में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

According to para 91(7) of the printed instructions on procedure relating to registration of insured persons, it is not permissible, without approval of the Regional Office, to carry out on any document, changes of name, father's name, insurance no. and age given in the original declaration form.

2. मैं इसके साथ नीचे की सूची में उल्लिखित घोषणा पत्र जिनमें अशुद्धियां पाई गई हैं, ठीक करने के लिए भेज रहा हूं। सूची के छठे खाने में यह बताया गया है कि अशुद्धि किस प्रकार की है। इस सूची में वे घोषणा पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं जो घोषणापत्रों की विवरणी में तो दर्ज हैं किन्तु प्राप्त नहीं हुए। कृपया फार्मों को भली प्रकार ठीक करके वापस कर दें।

I enclose herewith the Declaration Forms listed below, which have been found defective, for correction. In column 6 of this list nature of the defect has been indicated. This list also includes declaration forms which, though mentioned on the R. D. F., have been found missing. Kindly return the forms duly corrected.

3. मैं इसके साथ निम्नलिखित बीमा संख्याओं के पहचान कार्ड और चिकित्सा स्वीकृति कार्ड भेज रहा हूं। निवेदन है कि इन्हें कृपया केवल उन कर्मचारियों को वितरित करें जिन्होंने लगातार 13 सप्ताह नौकरी की है। पहचान कार्ड उन्हें देने से पूर्व कार्ड पर यथा स्थान बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अवश्य ले लें।

I am forwarding herewith Identity Cards and Medical Acceptance Cards in respect of the following Insurance numbers with the request that these may please be distributed only to those employees who have rendered 13 weeks continuous service. Before handing over the Identity Cards, signature/thumb impression of the insured person may invariably be obtained in the space provided for the purpose on the card.

4. उपर्युक्त बीमाकृत व्यक्ति ने, जो आपके यहां नौकरी करता बताया गया है, जो पहचान पत्र दिखाया है उस पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान नहीं हैं। निवेदन है कि अपनी उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लें और उसका यथावत सत्यापन कर दें।

The Identity Card produced by the above mentioned insured person who is stated to be in your employment, does not bear his signature or thumb impression. It is requested that his signature or thumb impression may kindly be obtained in your presence and duly attested.

5. ऐसे मामलों में जहां अनुलिपि पहचान कार्ड खो गया है और दूसरा अनुलिपि पहचान कार्ड बना कर दे दिया गया है, बाद में किसी समय मूल अथवा पहला अनुलिपि पहचान कार्ड मिल जाने पर यदि बीमाकृत व्यक्ति उसे ले आता है तो धन वापसी न की जाए।

In cases where the Duplicate Identity Card is lost and another Duplicate Identity Card has been issued, no refund may be made if at a later stage the I. P. produces the earlier Duplicate Identity Card or the original Identity Card.

6. इस कार्यालय के उपर्युक्त ज्ञापन में निहित पद्धति के अनुसार अनुलिपि पहचान कार्ड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ही जारी किए जाने होते हैं। अब यह निश्चय किया गया है कि आगे से अनुलिपि पहचान कार्ड आवेदन मिलने पर तुरन्त ही स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी किए जाने चाहिएं।

In accordance with the procedure laid down in this office Memorandum referred to above, Duplicate Identity Cards are required to be issued by the Regional Office. It has now been decided that duplicate identity cards should hereafter be issued by the Local Office immediately on receipt of application.

7. अब से क्षेत्रीय कार्यालय को पूछे बिना ही अनुलिपि परिवार पहिचान कार्ड स्थानीय कार्यालय स्वयं ही तैयार करके दे दें चाहे मूल घोषणा फार्म या परिवार घोषणा फार्म 1 (क) पर लिखा बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय में ही रखा है।

Duplicate Family Identity Cards may hereafter be prepared and issued by the Local Offices themselves without reference to the Regional Office even where the record of the members of the family of the insured person on the original declaration form or the family declaration form (1A) is kept at the Regional Office.

8. यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विभिन्न स्थानीय कार्यालयों से सम्बद्ध बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या नए पंजीकरण, रद्द हुए पंजीकरण और विनियम 130-क के अन्तर्गत जो निर्गम तथा पुन: प्रवेश आदि इस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद से इस बीच की अवधि में हुए हों उन सब को दृष्टि में रख कर उचित रूप से परिशोधित/समायोजित कर ली जाए।

It seems necessary that the number of insured persons attached to different Local Offices be revised/adjusted suitably after taking into account the fresh registration, cancellation of registration and exit and re-entry under Regulation 103-A etc. that may have taken place during the intervening period after the beginning of this financial year.

9. यह देखा गया है कि.........को समाप्त होने वाली..........अंशदान अवधि के लिए अंशदान कार्ड में उपरिलिखित बीमाकृत व्यक्ति का नाम आपने........लिखा है, परन्तु इस कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार उसका नाम........लगता है।

अत: आप बीमाकृत व्यक्ति का सही नाम बताएं।

It is observed that the name of the above mentioned Insured Person has been indicated by you as.........in the Contribution Card for the......... contribution period ending on........., but as per this office records the name of the Insured Person appears to be.........

You are therefore advised to intimate the correct name of the Insured Person.

10. हम बीमाकृत व्यक्तियों को और अच्छी सेवा प्रदान करने की दृष्टि से पंजीकरण तथा लाभ की दरों की गणना से संबन्धित काम, उप-स्थानीय कार्यालय को स्थानांतरित करने पर विचार करलें।

We might consider the transfer of the work relating to calculation of rates of benefit and registration to the sub-Local Office with a view to affording better service to the insured persons.

अंशदान
Contribution

अदायगी (Payment)

1. योजना के अन्तर्गत आए कारखानों के मालिकों को नियोजक विशेष अंशदान कुल वेतन बिल के 2½ प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर देना पड़ेगा।

The employers of the factories covered under the Scheme will be required to pay employers' special contribution at the enhanced rate of 2½ per cent of the total wage bill.

2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियोजकों से नियोजक विशेष अंशदान का भुगतान सीधा स्वीकार करने से फालतू काम बढ़ जाता है, इसलिए इस प्रकार की अदायगियों को यथासम्भव निरुत्साहित करने का प्रयत्न किया जाए।

In view of the fact that acceptance of direct payment of employers' special contribution from employers throws extra work, efforts may be made to discourage such payments as far as possible.

3. मुझे पुनः यह बताना है कि अंशदान कार्डों के बिना बीमाकृत व्यक्तियों के नकद लाभों के दावों पर निर्णय नहीं किया जा सकता। इस कार्यालय को विवश होकर आपके कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के लिए अपात्र बना देना पड़ेगा और उनकी हुई किसी भी कठिनाई या असुविधा के लिए आप जिम्मेदार होंगे।

I have again to point out that in the absence of contribution cards, the claims of insured persons for cash benefits cannot be decided. This office will also be compelled to disentitle the employees in your factory from medical benefit and you will be responsible for any inconvenience or hardship caused to them.

4. पिछली अंशदान अवधि के लिए आपका अंशदान कार्ड प्राप्त न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीमा योग्य नौकरी में नहीं रहे और इसलिए दिनांक .... से कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 103-क के अन्तर्गत आप डाक्टरी लाभ के पात्र नहीं रहे।

Due to non-receipt of your contribution card for the preceding contribution period, it appears that you have ceased to be in insurable employment and therefore you are no longer entitled to medical benefit under Reg. 103A of the E.S.I. (General) Regulations 1950, with effect from ....

5. यदि आप अभी भी बीमा योग्य नौकरी में हैं अथवा आप इस प्रकार की नौकरी में फिर से लग गए हैं तो आप नीचे वाला क० रा० बी० नि०-37 कार्ड अपने नियोजक से भरवा कर डाक्टरी लाभ की पुनः पात्रता के लिए अपने नामिका (पैनल) वाले डाक्टर के पास ले जाएं।

In case, however, you still continue to be in insurable employment or have been re-employed as such you may have the ESIC-37 card appended below filled up by your employer and produce the same to your Panel Doctor for re-entitlement to medical benefit.

6. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया इस पत्र के पीछे दूसरी ओर श्री.........बीमा संख्या......... का उपर्युक्त अंशदान अवधि के लिए अंशदान रिकार्ड दर्ज कर दें तथा इसे अविलम्ब वापस कर दें ताकि यह कार्यालय उसके लाभ के दावे का निपटान कर सके। यदि अंशदान कार्ड आपने पहले ही भेज दिया हो तो कृपया कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 32 के अन्तर्गत रजिस्टर को देख लें।

I request you kindly to indicate the contribution record of Shri ....Ins. No........ for the contribution period referred to above, at the back of this letter and return it *immediately* to enable this office to dispose of his claim for Benefit. Reference may kindly be made to the register under Regulation 32 of Emyloyees' State Insurance (General) Regulations, 1950, if the contribution card has already been sent.

7. कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के उप-विनियम ....द्वारा मिली शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं यह निश्चित करता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रथम अंशदान तथा प्रथम लाभ अवधियां बीमा योग्य रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों के क ख और ग सेटों के लिए निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रारम्भ तथा समाप्त होंगी।

In exercise of the powers conferred by sub-regulation......... of the ESI (General) Regulations, 1950 I hereby determine that in the areas specified in the schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets A, B and C shall begin and end in respect of persons in insurable employment as indicated in the table given below.

8. संगत लाभ अवधि में बीमारी हितलाभ की पात्रता के लिए किसी अंशदान अवधि में देय कम से कम 12 अंशदानों की शर्त, सेट ग के बीमाकृत व्यक्तियों के लिए प्रथम अंशदान अवधि के लिए हटा ली गई है।

The condition regarding minimum number of twelve contributions payable during a contribution period for entitlement to sickness benefit in the corresponding benefit period has been waived for the first contribution period in respect of the insured persons who are allotted Set C.

9. मुझे सखेद कहना पड़ रहा है कि अनुस्मारकों के बावजूद आपने अपने कारखाने·····के कर्मचारियों के·····को समाप्त हुई अंशदान अवधि के अंशदान कार्ड नहीं भेजे हैं। एतद् द्वारा मैं आपको नोटिस देता हूं कि यदि इस पत्र की तारीख से 7 दिन के भीतर अंशदान कार्ड नहीं मिले तो यह कार्यालय, न चाहते हुए भी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध अंशदान कार्डों को भेजने सम्बन्धी कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के उपबन्धों का पालन न करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने पर विवश हो जाएगा।

I regret to say that inspite of reminders, contribution cards in respect of the employees of your factory for the the contribution period ended.........have not been submitted by you so far. I am to give you notice hereby that unless the contribution cards are received within 7 days of the date of this letter, this office will be reluctantly compelled to prosecute you under Section 85 of the Employees' State Insurance Act for failure to comply with the provisions of the E. S. I. (General) Regulations, 1950, regarding submission of contribution cards.

वसूली (Recovery)

10. हाल ही में कुछ ऐसे मामले देखने में आए हैं जहां नियोजकों द्वारा कर्मचारियों के वेतन में से काटे गए कर्मचारी अंशदान की पूरी राशि निगम को नहीं भेजी गई। निगरानी रखने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि बीमा निरीक्षक कर्मचारियों से वसूल किए गए कर्मचारी अंशदान की राशि की पड़ताल निगम को भेजी गई राशि से कर लें।

A number of cases have recently come to notice where the full amount of employees' contribution deducted by the employers from the wages of the employees have not been remitted to the Corporation. With a view to keeping a watch it has been decided that the Insurance Inspector should also check up the amount of E. C. recovered from the employees with that remitted to the Corporation.

11. उन बकायादार नियोजकों से जिनके विरुद्ध अंशदान वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई पहले ही हो रही है, प्राप्त हुए क० रा० बी० नि०-37 फार्म अलग कर दिए गए हैं तथा क० रा० बी नि०-37 पुनरीक्षण रजिस्टर में उपर्युक्त टिप्पणी लिख दी गई है।

ESIC-37 forms received from employers who are defaulters and against whom legal action for recovery of contributions is already being taken, have been excluded and appropriate remarks in ESIC-37 Review Register, have been indicated.

12. यह निर्णय किया गया था कि 16 मामलों में मुख्यतया इसलिए वसूली न की जाए क्योंकि इन सभी मामलों में सम्बन्धित राशि बहुत थोड़ी थी। स्थायी समिति के दिनांक·······के प्रस्ताव के अनुसार सक्षम अधिकारी के आदेशों के द्वारा इन मामलों में वसूली छोड़ दी गई थी।

It was decided not to make recoveries in 16 cases mainly on the ground that the amount involved was small in all the cases. Recoveries in these cases were waived under the orders of the competent authority in accordance with the resolution of the Standing Committee, dated.........

13. सर्वश्री·········से·········रुपये की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल करनी है। वैसे इस कारखाने ने·······को नियोजक विशेष अंशदान के·······रुपये स्टेट बैंक में जमा करवाए थे।

A sum of Rs.........has to be recovered on account of revenue arrears from M/s............ Employers' special contributing amountion to Rs.........was, however, deposited in the State Bank on...... by this factory.

14. सर्वश्री..........से वसूल की जाने वाली रकम का विवरण निम्न-लिखित है :

1. नियोजक विशेष अंशदान (31-3-66 तक) — रु० 4325.06 पैसे
2. कर्मचारी अंशदान (31-3-66 तक) — रु० 2195.56 पैसे

The following are the details of amount to be recovered from M/s........

1. Employers' special contribution.........Rs. 4325.06 Paise (upto 31-3-66)
2. Employees contribution Rs. 2195.56 Paise (upto 31-3-66)

15. यह निर्णय किया गया था कि सर्वश्री.........से ....रुपये की वसूली तब तक लंबित कर दी जाए जब तक न्यायालय इस कारखाने की व्याप्ति के सम्बन्ध में निर्णय नहीं दे देता।

It was decided to pend recovery of Rs..... ...from M/s............ till the Court has given a decision about the coverage of the factory.

छूट (Exemptions)

16. उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सर्वश्री..........की ओर बकाया....... रुपये बट्टे खाते डालने की मंजूरी प्रार्थित है।

In view of the circumstances indicated above, the approval to write off of Rs.........due from M/s.........is solicited.

17. सर्वश्री....... के मामले में नियोजक विशेष अंशदान के.........रु०, कर्मचारी अंशदान के..........रुपये, ब्याज के........ रुपये तथा खर्च के........ रुपये बट्टे खाते में डालने के अनुमोदन की प्रार्थना की जाती है।

Approval is solicited to the write-off of Rs .. ..due towards Employer's Special Contribution, Rs ....due towards Employees' Contribution Rs ...... as interest and Rs....... as costs, in the case of

18. तारीख........को हुई बैठक में स्थायी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए महानिदेशक ने परिशिष्ट 'क' में अंकित मामलों में निगम को देय राशि की वसूली बट्टे खाते में डाल दी है।

In pursuance of the resolution passed by the Standing Committee at its meeting held on ....the Director General has written off the recovery of the amounts due to the Corporation in cases shown in Annexure 'A'.

19. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में पूर्व व्याप्ति सहित छूट प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है और यदि प्रशासनिक कारणों से कोई अधिसूचना पूर्व व्याप्ति सहित जारी की जाती है तो उससे बीमाकृत व्यक्ति के अधिकार पर आंच नहीं आनी चाहिए।

The Employees' State Insurance Act does not provide for the grant of exemption with retrospective effect and if any notification is issued with a retrospective effect for administrative reasons, the right of insured person shall not thereby be jeopardised.

20. मुझे आपका ध्यान केन्द्रीय सरकार की दिनांक........की अधिसूचना संख्या--...... की ओर आकर्षित करना है जिसमें कारखानों की उपर्युक्त श्रेणी को छूट दी गई है तथा यह कहना है कि क्षेत्रीय निदेशक............ने उन कारखानों की एक और सूची भेजी है जो कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं और जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत माना गया है।

I have to invite your attention to the Central Government notification No.........dated ...... granting exemption to the above class of factories and to say that the Regional Director, ... has forwarded another list of factories which are situated in sparse areas and have been treated as covered under the Employees' State Insurance Act, 1948.

21. यह सिफारिश की जाती है कि संलग्न सूची में उल्लिखित कारखानों को भी धारा 73-च के अन्तर्गत तब तक के लिए छूट दे दी जाए जब तक इन क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के लाभ सम्बन्धी उपबन्ध लागू नहीं हो जाते।

It is recommended that the factories as per list enclosed may also kindly be granted exemption under section 73-F till the enforcement of the benefit provisions of the Employees' State Insurance Act in these areas.

22. स्थायी समिति तथा निगम इस प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं कि उन क्षेत्रों के नियोजकों को जहां बीमा योग्य जनसंख्या 500 से कम है, नियोजकों के विशेष अंशदान की अदायगी से छूट दे दी जाए।

The Standing Committee and Corporation have agreed to the proposal for exemption from the payment of Employers' Special Contribution to employers in areas where insurable population is less than 500.

23. क्षेत्रीय निदेशक से निवेदन है कि वह उन सब मामलों का पुनरीक्षण करे जहां किसी काल सीमा के बिना धारा 73-च के अन्तर्गत छूट दी गई थी तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए 'निश्चित दिन' के काफी पहले ऐसे कारखानों के मामले मुख्यालय को भेज दें ताकि उन्हें दी गई छूट को रद्द करने या उसमें संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाए।

The Regional Director is requested to review all such cases where exemption under Section 73-F had been granted without any time limit and refer cases of such factories to Headquarters well in advance of the A. Day for respective areas so that the Central Govt. may be requested to modify/cancel the exemption granted to them.

24. कभी-कभी ऐसा होता है कि किन्हीं क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वित होने पर उन नियोजकों को जिनके कारखानों को "अधिनियम के लाभ-उपबन्ध लागू होने तक" की छूट दी गई थी, योजना के कार्यान्वित होने के कारण छूट की समाप्ति का पता नहीं लगता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह निश्चय किया गया है कि क्षेत्रीय निदेशक विशेष रूप से ऐसे छूट पाए नियोजकों को उनके दायित्व और कर्त्तव्य से उस समय अवगत करा दें जब उस क्षेत्र में योजना के लाभ-उपबन्ध लागू किए जाएं जहां कि कारखाना स्थित है।

It sometimes happens that on implementation of the Scheme in certain areas, the employers of factories which were exempted "till the enforcement of benefit provisions of the Act" were not made aware of the cessation of exemption by virtue of implementation. With a view to avoid such a situation, it has been decided that Regional Director should specifically inform such exempted employers of their obligations and duties when the areas in which they are situated are brought under the benefit provisions of the Scheme.

25. सरकार ने 22 जनवरी 1960 से अगले एक वर्ष की अवधि के लिए नियोजक विशेष अंशदान की अदायगी से उन सभी कारखानों को छूट दे दी है जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित नहीं किए गए हैं या पिछले 12 महीनों की अवधि में किसी समय भी नहीं किए गए, चाहे कारखाने के अहाते में 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं या करते थे।

Government have exempted for a further period of one year with effect from the 22nd January,1960 from the payment of the employers' special contribution, every factory wherein ten or more persons are not employed, or were not employed at any time during the preceding twelve months, even though twenty or more persons are or were working in the premises.

लाभ
Benefits

बीमारी (Sickness)

1. स्थानीय कार्यालय के प्रबन्धक को सूचित किया जाता है कि श्री...... बीमा नं० ...... ने असमर्थता का वैकल्पिक प्रमाण प्रस्तुत किया है, जो विनियम 53 के अन्तर्गत......... से .... तक की अवधि के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

The Local Office Manager is informed that Shri.........Insurance No.........has produced alternative evidence of incapacity which has been accepted under Regulation 53 for the period from......... to.........

2. विस्तरित बीमारी लाभ पाने के केवल वे ही बीमाकृत व्यक्ति पात्र हैं जिनका क्षय रोग का दौर अध्यक्ष द्वारा निश्चित दिन के बाद प्रारम्भ होता है अथवा जिनका दौर उस दिन या उससे पूर्व शुरू होकर उसके बाद तक जारी रहता है तथा सामान्य बीमारी लाभ उसी दौर के बीच समाप्त हो जाता है।

Only those Insured Persons will be eligible to receive Extended Sickness Benefit whose spell of T. B. commences after the date fixed by the Chairman or whose spell having commenced on or before that day continues thereafter and ordinary Sickness Benefit is exhausted during the currency of the same spell.

3. विस्तरित बीमारी लाभ के प्रयोजन के लिए 'बीमारी का दौर' का अर्थ वह प्रमाणित असमर्थता अवधि है जो कर्मचारी राज्यबीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के अनुसार दिए गए पहले प्रमाणपत्र से प्रारम्भ होकर अन्तिम प्रमाणपत्र पर समाप्त होती है।

"Spell of sickness" for the purpose of Extended Sickness Benefit means a period of certified incapacity commencing with a first certificate and ending with a final certificate issued in terms of the Employees' State Insurance General Regulations, 1950.

4. यह निर्णय किया गया है कि असमर्थता के वैकल्पिक साक्ष्य की स्वीकृति सम्बन्धी पूरे अधिकार स्थानीय कार्यालय प्रबन्धकों को दे दिए जाएं तथा मामलों के गुण-दोष के आधार पर दावों को स्वीकार करने या रद्द करने की उन्हें अनुज्ञा दे दी जाए।

It has been decided that full powers to accept alternative evidence of incapacity may be delegated to the Local Office Managers and they may be permitted to accept or reject the claims depending on the merits of each case.

5. बीमाकृत व्यक्ति को उसका अंशदान कार्ड न आने पर सम्बन्धित लाभ अवधि प्रारम्भ होने के दिन से ही चिकित्सा लाभ से वारित कर दिया जाता है यदि पिछली बीमारी लाभ अवधि में भी वह चिकित्सा लाभ का पात्र नहीं रहा।

An insured person is debarred from Medical Benefit upon non-receipt of his contribution card, with effect from the commencement of the relevant benefit period, if he was not entitled to Medical Benefit in the preceding benefit period.

6. उन बीमाकृत व्यक्तियों को उपरिनिर्दिष्ट प्रस्ताव के अन्तर्गत विस्तरित लाभ के पात्र समझा जाना है जिन्हें विस्तरित बीमारी लाभ मिल रहा है या जिन्हें उक्त लाभ के लिए पात्र घोषित कर दिया गया है पर उन्होंने 15 अगस्त, 1960 को या उससे पूर्व 126 दिन पूरे नहीं किए हैं। वे अपनी लाभ अवधि के भीतर 309 दिन तक के विस्तरित बीमारी लाभ का बकाया मांगने के हकदार हैं।

Insured persons in receipt of Extended Sickness Benefit or insured persons who have been declared eligible for the said benefit but have not exhausted 126 days on or before 15th August, 1960 are to be deemed eligible for the same under the resolution referred to above. They are

entitled to claim the balance of extended sickness benefit upto 309 days within their benefit period.

7. इसका यह अर्थ नहीं कि नियोजक पहले तो छुट्टी की अवधि को अनधिकृत मान सकता है और जब बीमाकृत व्यक्ति को बीमारी लाभ के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाए तब वह उस छुट्टी को अधिकृत मानकर उस बीमाकृत व्यक्ति विशेष को बीमारी हित लाभ के लिए पात्र बनाने हेतु अंशदान दे दें। आवश्यक यह है कि अंशदान देय होने के समय पर ही नियोजक को छुट्टी के स्वरूप के सम्बन्ध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

This does not mean that the employer can treat a period of leave as "not authorised" in the first instance and when an insured person is declared not eligible for sickness benefit, he can treat the same leave as "authorised leave" and pay contributions in order to make that particular insured person eligible to sickness benefit. What is needed is that the employer should exercise his discretion regarding the nature of leave at the time when the contributions become due.

8. मुझे यह कहना है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत उपरिलिखित बीमाकृत व्यक्ति की विस्तरित चिकित्सा तथा नकद लाभों की पात्रता निश्चित करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसने ऐसे कारखाने में जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है, कितने समय तक काम किया है। अतः मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप कृपया उसकी लगातार नौकरी का निम्नलिखित प्रमाण पत्र भर दें और उसे इस कार्यालय के कर्मचारी को जो .... को आपके कारखाने के निरीक्षण के लिए आएगा, दे दें।

I have to state that with a view to determine the title of the above mentioned insured person to extended medical and cash benefits under the Employees' State Insurance Act, it is necessary to know the period of his employment in a factory to which the Employees' State Insurance Act applies. I have therefore to request you kindly to fill up the following certificate of continuous employment and hand it over to one of the officials of this office who will be visiting your factory on ....

9. जिस दिन बीमाकृत व्यक्ति स्वयं चिकित्सा लाभ के पात्र हुए हैं उनके 13 सप्ताह पश्चात् योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में उनके परिवार भी चिकित्सा लाभ के पात्र हो जाएंगे।

The families of insured persons in this area will become entitled to medical benefit under the scheme 13 weeks after the date the insured persons have themselves become entitled to medical benefit.

10. मुझे यह कहना है कि बहुत प्रयत्नों के बावजूद भी यह कार्यालय उपर्युक्त बीमाकृत व्यक्ति की लाभ मिसिल ढूंढ़ नहीं पाया है। नियोजक को और डाक्टर को यह जानने के लिए पत्र भेजे गए हैं कि क्या बीमाकृत व्यक्ति द्वारा पहले भी कोई लाभ लिया गया है। मुझे आपसे निवेदन करना है कि अब इस बीमाकृत व्यक्ति की नई मिसिल एडरिमा पर अंकित कर दी जाए और यहां शीघ्र भेज दी जाए ताकि बीमाकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए दावे को निपटाया जा सके।

I have to state that inspite of best efforts it has not been possible for this office to trace the benefit file of the above mentioned insured person. Letters to the employer and to the doctor have been issued with a view to ascertain if any benefit has been drawn by the insured person previously. I have to request that a fresh benefit file in respect of the insured person may now be printed on the adrema and supplied urgently so that the claim submitted by the insured person may be disposed off.

11. परिशिष्ट आठ में दी गई लाभ दिनों की संख्या निम्नलिखित मामलों में सही प्रतीत नहीं होतीं। लाभ दिनों की सही संख्या तथा तत्सम्बन्धी रकम कृपया बताई जाए।

In respect of the following cases the number of benefit days given in Appendix VIII does not seem to be correct. The correct number of benefit days and the corresponding amount may please be intimated.

12. निम्नलिखित मामलों में परिशिष्ट आठ में की गई प्रविष्टियाँ स्थायी अशक्तता लाभ कार्ड की प्रविष्टियों से भिन्न हैं। असंगति का समाधान कर लिया जाए।

In respect of the following cases, the entries as indicated in Appendix VIII differ from those in the PDB Card. The discrepancies may please be reconciled.

अशक्तता (Disablement)

13. महानिदेशक को उन कामगारों के दावे पारित तथा स्वीकार करने का अधिकार है जिनको गलती से अधिनियम के अंतर्गत हुए मान लिया गया था और जो नौकरी के दौरान उससे सम्बन्धित काम के कारण दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अतः हम विचाराधीन मामले में महानिदेशक की मंजूरी ले लें।

Director General is empowered to pass and allow claim of workers erroneously covered under the Act and who meet with accident out of and during the course of employment. We may, therefore, seek Director General's sanction in the case under consideration.

14. यदि बीमाकृत व्यक्ति दुर्घटना वाले दिन के लिए आंशिक अथवा पूरी मजदूरी ले लेता है तो उसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम उस दिन के लिए अस्थायी अशक्तता लाभ देने (की अदायगी) की अनुज्ञा नहीं देता।

Where wages in full or part are received by the insured person for the day of the accident, the ESI Act does not permit payment of Temporary Disablement Benefit for that day.

15. यदि अशक्तता तीन दिन से अधिक की हो तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत रोजगार—चोट के लिए बीमाकृत व्यक्ति को अस्थायी अशक्तता लाभ मिल सकता है। यदि कुल असामर्थ्य तीन दिन से अधिक हो जाए तो लाभ असामर्थ्य के पहले ही दिन से मिलता है जब से उसे मजदूरी न मिली हो।

Temporary Disablement Benefit in respect of the employment injury is admissible to an insured person under the ESI Act if the disability exceeds 3 days. If the total incapacity exceeds 3 days, the benefit becomes payable from the very first day of the incapacity resulting in the loss of wages.

16. उपरिलिखित व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि वह‥‥‥ को आपके कारखाने में काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चूंकि इस सम्बन्ध में आप से कोई दुर्घटना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई इसलिए आप अपेक्षित पूछताछ करके मामले की सही स्थिति इस कार्यालय को बताने की कृपा करें।

यदि यह मामला रोजगार-चोट का हो तो कृपया अंशदायी वेतन रिकार्ड सहित दुर्घटना रिपोर्ट तथा निम्नलिखित सूचना भेज दें।

It has been alleged by the above named employee that he met with an accident while working in your factory on............As no accident report in this connection has so far been received from you, it is requested that the correct position in this respect may kindly be intimated to this office, after necessary enquiries.

If it is a case of employment injury, an accident report with contributory/wage record may please be sent together with the following information:—

17. आपसे यह भी निवेदन है कि बीमाकृत व्यक्ति को उपरिलित राशि अविलम्ब वापस करने के लिए इस स्थानीय कार्यालय में भेज दें। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 70 के अनुसार वह राशि भूमि राजस्व के बकाया की भांति उससे वसूल कर ली जाएगी तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 84 के अन्तर्गत उस पर मुकदमा भी चलाया जाएगा।

I have also to request you kindly to direct the insured to this local office to refund the above amount immediately failing which the same will be recovered from him as arrears of land revenue as laid down under Section 70 of the Employees' State Insurance Act, 1948, and he may also be prosecuted under Section 84 of the Employees' State Insurance Act, 1948.

18. क्षेत्रीय सहायक लेखा अधिकारी गुजरात को सूचित किया जाता है कि बीमा/डाक्टरी प्रभागों से परामर्श करके मामले पर विचार किया गया है तथा यह महसूस किया गया है कि बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अपनी चोट की सूचना बीमा मेडीकल अधिकारी-बीमा चिकित्सा व्यवसायी को न देने में हुई असावधानी से स्थायी अशक्तता लाभ के दावों की उसकी पात्रता नहीं रहती।

The Regional Assistant Accounts Officer, Gujarat is informed that the case has been examined in consultation with the Insurance/Medical Division and it is felt that negligence on the part of an Insured person for not reporting his injury to the Insurance Medical Officer/Insurance Medical Practitioner does not bear his eligibility to the claims of permanent disablement benefit.

19. स्थायी अशक्तता लाभ अस्थायी अशक्तता के समाप्त होने के दिन से देय है। अस्थायी अशक्तता उसी दिन से समाप्त हुई कही जा सकती है जिस दिन बीमाकृत व्यक्ति काम करने के योग्य प्रमाणित किया जाता है।

Permanent disablement benefit is payable from the date temporary disablement ceases. Temporary disablement can be said to have ceased only from the date on which the insured person is certified to be fit.

20 चोट अनुसूचित तभी समझी जा सकती है जब उसका स्वरूप और कमाई की क्षमता की हानि का निर्णीत प्रतिशत उससे मिलता है जो अनुसूची में उल्लिखित है। यदि दोनों ही कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम की अनुसूची 1 के उपबन्धों के अनुरूप नहीं तो धारणा यह है कि :—

(क) मैडिकल बोर्ड ने निर्धारण में गलती की अथवा

(ख) चोट का स्वरूप ठीक वह नहीं है जो इसे अनुसूचित मानने के लिए होना चाहिए।

An injury can be treated as scheduled only when the nature of the injury and the percentage of loss of earning capacity awarded tally with those mentioned in the schedule. If the two are not in accordance with the provisions of the schedule I to the W. C. Act, the presumption is that:—

(a) either the Medical Board erred in indicating the assessment or

(b) the nature of injury is not exactly what it should be to term it as scheduled.

21. यदि बीमाकृत व्यक्ति आवेदन दे तो अन्तिम निर्धारण के सभी मामलों में (जिसमें गैर-अनुसूचित चोटों के मामले शामिल हैं) जहाँ स्थायी अशक्तता लाभ की दर 50 पैसे प्रतिदिन से अधिक नहीं, लाभ की अदायगी एक मुस्त कर दी जाय चाहे वह निर्धारण विनियम 73 के संशोधन से पूर्व किया गया है या बाद में।

In all cases of 'final' assessment (including non-scheduled injury cases) where P.D.B rate does not exceed 00.50P Per day, the commutation may be allowed, if the I. P. applies for the same, irrespective of the fact whether such assessment has been given before or after the amendment to Regulation 73.

22. मैं आपको सूचित करता हूं कि बीमारी/अस्थायी अशक्तता लाभ का आपका दावा मंजूर कर लिया गया है। आप कृपया उसकी राशि स्वयं आकर इस कार्यालय से ले लें अन्यथा यदि आप चाहें तो रकम आपके खर्चे पर मनीआर्डर द्वारा आपको भिजवा दी जाएगी।

I am to inform you that your claim for Sickness/Temporary Disablement Benefit has been accepted. You may please either receive the money personally at this office, or if you so desire the amount will be remitted to you by money order at your cost.

23. जहां कोई बीमाकृत व्यक्ति डाक्टरी परीक्षा के लिए नियत तिथि को चिकित्सा निर्देशी के पास नहीं जाता तो क्षेत्रीय कार्यालय से बिना पूछे ही स्थानीय कार्यालय उक्त तारीख के बाद लाभ देना निलम्बित कर दें।

Where an insured person fails to appear before the Medical Referee for medical examination on due date, benefit may be suspended by the Local Office without reference to the Regional Office from the due date onwards.

24. अनुसूचित चोटों के उन पुराने मामलों को जिनका वर्तमान अनुदेशों (हिदायतों) के अनुसार पुनरीक्षण किया जाना था, पुनरीक्षण के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है यदि ऐसे मामलों में हुए निर्धारण को मैडिकल बोर्ड ने 'अन्तिम' घोषित कर दिया है।

The old cases of non-scheduled injuries which are due for review in accordance with the existing instructions on the subject need not now be sent up for review, if the assessment in such cases has been declared as 'final' by the Medical Board.

25. क्षेत्रीय निदेशक को सलाह दी जाती है कि श्री..........बीमा संख्या..........के मामले को रोजगार-चोट के कारण हुई मृत्यु वाला मामला मान लिया जाए।

क्षेत्रीय निदेशक द्वारा भेजे गए मूल दस्तावेज साथ वापस किए जा रहे हैं। इनकी प्राप्ति की कृपया सूचना दें।

The Regional Director is advised that the case of Shri......... Ins. No......... may be accepted as one of death due to employment injury.

Documents in original forwarded by the Regional Director are returned herewith. Their receipt may please be acknowledged.

26. यह निर्णय किया गया है कि पहली अदायगी करते समय उप-स्थानीय कार्यालय का प्रभारी आश्रितों के पहचान चिह्न अदायगी-डाकेट में अंकित करे। डाकेट जब स्थानीय कार्यालय में पहुंचे तो पहचान-चिह्न फार्म क० रा० बी० नि०—40 वाले आश्रित लाभ रजिस्टर में चढ़ाए जाएंगे।

It has been decided that Incharge of the sub-local office should record the identification marks of the dependents in the payment docket while making the first payment. On receipt of the docket in the local office, the identification marks will be incorporated in the Dependents' Benefit Register in Form ESIC-40.

27. स्थायी अशक्तता लाभ तथा आश्रित लाभ की अदायगी पेंशन के समान आवर्ती है। संवितरण-अधिकारी होने के नाते स्थानीय कार्यालय प्रबंधक की यह देखने की जिम्मेदारी है कि क० रा० बी० नि०—26 तथा क० रा० बी० नि०—40 रजिस्ट्रों में दर्ज की गई लाभ-दर आदि ठीक है और उसे स्वयं उसने या उसके पूर्वाधिकारी ने विधिवत प्रमाणित कर दिया है।

Permanent Disablement Benefit and Dependents Benefit are recurring payments just like pension. It is the responsibility of the Local Office Manager, as the disbursing officer, to see that the rate of benefit etc. as entered in the ESIC-26 and ESIC-40 registers is the correct one and has been duly attested by himself or by his predecessor in office.

28. भविष्य में चिकित्सा बोर्ड को स्थायी अशक्तता लाभ के मामले भेजते समय क्षेत्रीय निदेशक दुर्घटना की तारीख के साथ-साथ चिकित्सा बोर्ड के कागजों/दस्तावेजों पर चाहे रंगीन या अन्य प्रकार की पर्चियों से दुर्घटना की तारीख का स्पष्ट संकेत कर दें और यह भी कि क्या अर्जन (कमाई) क्षमता की हानि का प्रतिशत कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की पुरानी अनुसूची के अनुसार मूल्यांकन करना है या नई के अनुसार।

In future while making reference of P.D.B. cases to the Medical Board, Regional Director should indicate clearly on the Medical Board papers by coloured slips or otherwise the *date of accident* and whether percentage of loss of earning capacity is to be assessed with reference to old or new schedule of Workmen's Compensation Act, 1923.

29. यह अब निर्णय किया गया है कि बीमारी लाभ की दरों के साथ-साथ उन सब मामलों का ब्यौरा अलग-अलग रजिस्टरों में रखा जाय, जिनमें प्रसूति लाभ, अस्थायी अशक्तता लाभ तथा स्थायी अशक्तता लाभ की अदायगी अंशदान कार्ड के खो जाने के कारण, अंशदान कार्ड सम्बन्धी विवरणी में उपलब्ध सूचना के आधार पर कर दी गई है।

It has now been decided that in addition to sickness benefit rates, particulars of all cases in which Maternity Benefit, Temporary Disablement Benefit and permanent Disablement Benefit has been paid on the basis of the information available in the Return of Contribution Card due to misplacement of Contribution Card, may also be maintained in separate registers.

30. महानिदेशक ने-...........से-...........तक की अवधि के लिए श्री--.... से सम्बन्धित कालबाधित-दावे की जाँच-पड़ताल की मंजूरी दे दी है।

The Director General has sanctioned the investigation of time barred claims in respect of Shri............for the period from......... to.........

प्रसूति (Maternity)

31. जहां बीमाकृत महिला वास्तविक प्रसूति के पश्चात् प्रसूति लाभ मांगती है तो उसके दावे पर कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 89 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसने पहले भी सम्भावित प्रसूति का प्रमाण पत्र लिया हो और उसे वास्तविक प्रसूति के प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया हो।

Where the claim for maternity benefit is submitted by the insured woman after the actual confinement, the claim will be regulated under Regulation 89 of the E. S. I. (General) Regulation 1950, notwithstanding the fact that she also previously obtained a certificate of expected confinement and has submitted the same alongwith the certificate of actual confinement.

32. यह पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि पर्दानशीन औरत को तब भुगतान किया जाए जब स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक अपने जानने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे कि वह पर्दा नहीं करती उसकी पहचान करा ले।

It has already been decided that the payment to a 'purdahnashin' lady may be allowed after the Local Office Manager has established her identity through some one known to the Local Office Manager and from whom the lady does not observe 'Purdah'.

33. उस काल में जिसके लिए प्रसूति सम्बन्धी लाभ की मांग की गई है या करनी है, वेतन पर कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले फार्म नम्बर 24 पर दुबारा काम पर आने की सूचना भेजनी चाहिए।

अगर कोई व्यक्ति अपने लिए या किसी और के लिए लाभ लेने के उद्देश्य से कोई गलत बयान या अभिवेदन देगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

No work for remuneration should be taken up during the period for which maternity benefit is being or is to be claimed. Notice of resumption of work in Form 24 must be sent before any work is taken up.

Any person who makes a false statement or representation for the purpose of obtaining benefit whether for oneself or for some other person renders oneself liable to prosecution.

कानूनी कार्रवाई
Legal action

1. धारा 66 के अन्तर्गत मामलों में यह आवश्यक है कि निगम नियोजक द्वारा किसी कानूनी दायित्व के भंग किए जाने को सिद्ध करे। क्षेत्रीय निदेशक आदि को सलाह दी जाती है कि गवाही देने के लिए केवल उन्हीं अधिकारियों को बुलाया जाए जिन्हें मामले की व्यक्तिगत रूप से जानकारी हो।

In cases under section 66, it is necessary for the Corporation to establish a breach of some statutory obligation on the part of the employer. The Regional Director etc. are advised that only officials who have a personal knowledge of the case should be summoned to give evidence.

2. जबकि मामला अभी न्यायालय में हो था, कारखाना समापन में आ गया तथा.........को कारखाना समेटने के लिए एक सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया । परिसमापक से निवेदन किया गया था कि निगम को देय राशि मिल के विरुद्ध अधिमानी दावों में सम्मिलित कर ली जाए। मामले का अनुसरण करने पर सरकारी परिसमापक अधिकारी ने पुष्टि कर दी कि उसने हमारे दावे को स्वीकार कर लिया है और उसे अधिमानी वर्ग में रखा है।

While the case was still in the court, the mill went in liquidation and an official liquidator was appointed for winding up the mill on..... ...... The official liquidator was requested to include the above amount due to the Corporation as a preferential claim against the mill. After pursuing the matter, the official liquidator confirmed that he had admitted and classified our above claim as preferential.

3. कारखाना निरीक्षक ने देखा था कि कारखाना अधिनियम की धारा 21 (1) (चार) (ग) का भंग किया गया है। किन्तु मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नियोजक के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा इसलिए खारिज कर दिया गया है क्योंकि परिवादी और अभियुक्त दोनों अनुपस्थित थे।

The Factory Inspector had observed a breach of section 21 (1) (iv) (c) of the Factories Act. The prosecution, however, launched against the employer by the Chief Inspector of Factories has been dismissed as the complainant and the accused were both absent.

4. बीमाकृत व्यक्ति और साक्षियों ने कहा है कि दुर्घटना के समय वह मशीन जहाँ बीमाकृत व्यक्ति काम कर रहा था, किसी ऐसे सुरक्षा गार्ड से ढकी हुई नहीं थी जिससे कि मशीन के खतरे वाले भाग से बचाव हो सकता।

The insured person and the witnesses have stated that the machine on which the insured person was working, was not covered with any safety guard to prevent the access to the danger zone of the machine at the time of accident.

5. क्षेत्रीय निदेशक को सलाह दी जाती है कि वह श्री .. .., बीमा संख्या.........के दुर्घटना वाले मामले में अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत नियोजक के विरुद्ध कार्रवाई करे। निगम की ओर से मामले की पैरवी के लिए श्री.........को वकील/कौंसल करने की एतद् द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

The Regional Director is advised to take action under section 66 of the Act against the employer in the accident case of Shri............, insurance number......... The engagement of the Counsel, Shri............ to plead the case on behalf of the Corporation is hereby approved.

6. मुझे...........को.........बजे आपके कारखाने में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45 (2) के अन्तर्गत आपके कारखाने के रिकार्ड निरीक्षण करने हेतु आने का उल्लेख करना है। चूंकि उक्त तिथि को निरीक्षण के लिए अपेक्षित रिकार्ड मुझे नहीं दिखाए गए इसलिए आपने स्वयं को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र बना लिया है।

I have to refer you to my visit to your factory premises on......... at.........for the inspection of the records of your factory under section 45 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948. As the required records were not produced before me for inspection purposes on the above date, you have rendered yourself liable to prosecution under section 85 of the ESI Act.

7. देखा गया है कि कभी-कभी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं शुरू की जाती क्योंकि कारखाने के अधिनियम के अधीन होने का प्रश्न नियोजक द्वारा उठा दिया जाता है। जब तक कि अधीनता सम्बन्धी प्रश्न का फैसला होता है, पत्राचार में ही बहुत सा समय बीत चुका होता है और नियोजक देय कर्मचारी अंशदान का बकाया अदा करने में आनाकानी करता है।

It has been observed that sometimes legal action under section 75 of the Employees' State Insurance Act is not initiated because the question of coverage of the factory is raised by the employer. By the time coverage is decided considerable time has passed in correspondence and the employer is reluctant to pay the arrears of employees' contribution due.

8. यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 66 के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली राशि का हिसाब-किताब लगाने के सूत्र कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 108 में पहले ही निहित हैं अतः आवधिक अदायगी के वर्तमान बीमांकन मूल्य

की गणना का हिसाब-किताब अब से क्षेत्रीय कार्यालय में ही लगा लिया जाय और उसकी क्षेत्रीय सहायक लेखा अधिकारियों से जांच करा ली जाए।

It has been decided that since the formulae for working out the amount recoverable under Section 66 of the Employees' State Insurance Act, 1948 have already been laid down in Regulation 108 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the calculation of the actuarial present value of the periodical payment may henceforth be worked out in the Regional Offices and got checked by the Regional Assistant Accounts Officers.

9. अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत सर्वश्री·········के विरुद्ध······ रुपए वसूल करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया गया है। यह राशि स्वर्गीय श्री..... के जिनकी......को रोजगार-चोट के कारण मृत्यु हो गई, आश्रितों को देय आश्रित लाभ का बीमांकित वर्तमान मूल्य है।

A case has been filed against M/S.........for recovery under section 66 of the Act of Rs.............being the actuarial present value of the dependents benefit payable to the dependents of the deceased Shri......... who met with a fatal employment injury on.........

10. कर्मचारी बीमा न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बीमाकृत व्यक्ति को अपने गाँव से बुलाने पर किए गए खर्चे की बावत महानिदेशक ने-----····- रुपये की कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

The Director General has accorded his ex-post-facto sanction for Rs...............incurred towards calling the insured person from his native place for tendering evidence in the Employees' Insurance Court.

11. कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार किया गया था और चूंकि उसमें ठोस विधि प्रश्न नहीं था इसलिए उच्च न्यायालय में अपील न करने का फैसला किया गया था। आवेदन के खारिज होने तथा इस राशि की वसूली न हो सकने के क्या आधार थे उन पर भी विचार किया गया था और यह पाया गया कि मामला मुख्यतया इस आधार पर हाथ से निकल गया कि जिस सरकारी वकील को निगम के वास्ते मुकदमा लड़ने के लिए किया गया था उसकी बदली हो गई और उसके स्थान पर जो निजी वकील किया

The judgement given by the Employees' Insurance Court was examined and as there was no substantial point of law involved, it was decided not to file any appeal in the High Court. The grounds leading to the dismissal of the application and failure to recover this amount were also examined and it was observed that the case was lost mainly on the ground that the Government counsel whose services were engaged to conduct this case on behalf of the Corporation was unfortunately transferred and the private lawyer who was engaged in his place did not take interest.

12. यह विचारणीय है कि क्या स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक मोदीनगर को कचहरी के मामलों को निपटाने के लिए गाजियाबाद आने जाने के लिए कहने की बजाय इस काम की जिम्मेदारी गाजियाबाद के निरीक्षक को सौंपी जा सकती है।

It is for consideration whether the Inspector at Ghaziabad could be entrusted with the responsibility of handling court cases at Ghaziabad instead of asking the Local Office Manager, Modinagar to travel to Ghaziabad for the purpose.

13. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा मिली शक्ति का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद् द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 में निम्नलिखित और आगे संशोधन करता है जिसे उक्त धारा को उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार पहले प्रकाशित कर दिया गया था, अर्थात :

In exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following further amendments in the Employees' State Insurance (Genral) Regulations, 1950, the same having been previously published as required by sub-section (1) of the said section namely :—

विविध
Miscellaneous

1. राज्य सरकार ने सामान्य अंशकालिक विशेषज्ञों के सात पद अर्थात् बुरहानपुर और राजनन्द गाँव में दो-दो और जबलपुर, रतलाम और भोपाल में एक-एक समाप्त कर दिए तथा निम्नलिखित 68 अतिरिक्त अंशकालिक विशेषज्ञ

The State Government discontinued 7 posts of General part time specialists viz. 2 each at Burhanpur and. Rajnandgaon and one each at Jabalpur, Ratlam and Bhopal and appointed the following 68 additional part time specialists :

2. एस० डी० सैनेटोरियम बंगलौर में 16 शय्या का दूसरा उप-भवन बन जाने के फलस्वरूप उसमें आरक्षित 16 शय्या बन्द कर दिए गए। किन्तु साथ ही योजना के अन्तर्गत वेन्कटेश्वर सैनेटोरियम में 19 सामान्य शय्या (प्रसूति मिला कर) तथा 10 क्षय रोग शय्या भी आरक्षित किए गए।

Consequent upon the commissioning of second Annexe of 16 beds at the S. D. Sanatorium Bangalore, 16 beds reserved therein were discontinued. Further 19 General beds (including Maternity) and T. B. beds were, however, reserved under the Scheme in the Venkateswara Sanatorium.

3. राज्य के हिस्से का उल्लेख राज्य सरकार और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीच होने वाले किसी करार पर न छोड़कर अधिनियम में ही कर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार का हिस्सा निम्नलिखित ढंग से निश्चित किया जाना चाहिए :

(क) बीमाकृत व्यक्तियों के लिए डाक्टरी देखभाल के व्यय का एक तिहाई ;

(ख) बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के लिए डाक्टरी देखभाल के व्यय का दो तिहाई।

The State's share should be specified in the Act itself and not left to any agreement to be arrived at between the Employees' State Insurance Corporation and the State Government. The share of the State Government should be worked out as follows :—

(a) 1/3 of the cost of medical care for insured persons ;

(b) 2/3rd of the cost of medical care for members of the family of the insured persons ;

4. सेवा पद्धति से बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को सन्तोषजनक डाक्टरी सेवा प्रदान करने की अधिक सम्भावना होती है। यह हो सकता है कि कुछ केन्द्रों में परिस्थितियां ऐसी हों कि सेवा पद्धति को अपनाना सम्भव न हो सके। ऐसे स्थानों में राज्य सरकारों को चाहिए कि सुविधाजनक स्थानों पर कम से कम कुछ सेवा औषधालयों की स्थापना को उच्च प्राथमिकता दें तथा

बीमाकृत व्यक्तियों को इस बात की छूट दी जाए कि वे चाहे बीमा चिकित्सा व्यवसायी के पास नाम लिखाएं या सेवा औषधालय में जाएं।

Service system offers better possibilities of giving satisfactory medical service to the insured persons and their families. However, conditions in some centres may be such that adoption of the service system may not be possible. In such places the State Governments should give high priority to the setting up of at least a few conveniently located service dispensaries and the insured person may be given a choice whether to enrol with an IMP or at the service dispensary.

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्य करने वाले डाक्टरों को औद्योगिक स्वास्थ्य और औषध के क्षेत्र में उचित ढंग से प्रशिक्षण मिला है।

Steps may also be taken to ensure that doctors working in the Employees' State Insurance Scheme have proper training in the field of industrial health and medicine.

6. डाक्टरों को नियोजकों को सीधे सूचना भेजने में कठिनाई होगी क्योंकि उनके रोगी (मरीज) विभिन्न स्थापनाओं में काम करते हैं और डाक्टर के पास उन सब के पते नहीं होते। वर्तमान कार्यप्रणाली चलने दी जाए।

The doctors will find it difficult to send intimation to the employers directly as their patients come from many different establishments and the doctor does not have their addresses. The present practice may be permitted to continue.

7. बीमाकृत व्यक्ति को दिनांक......से डाक्टरी उपचार तथा परिचार की और डाक्टरी आधार पर काम से अलग रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

The insured person would not require medical treatment and attendance and abstention from work on medical grounds from.........

8. प्रमाणपत्रों को चिकित्सा अधिकारी ही लिखना जारी रखें। यह काम लिपिकों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। हां, यदि प्रमाणन पद्धति का सरलीकरण सम्भव हो तो क्षेत्रीय निदेशकों से परामर्श करके, उस पर नए सिरे से विचार कर लिया जाए।

The certificates may continue to be written by the medical offiicers. This work should not be entrusted to clerks. If however, any simplification of the certification procedure is possible, it may be considered afresh in consultation with the Regional Directors.

9. क्षेत्रीय निदेशक को सलाह दी आती है कि क्षेत्रीय मुख्यालय में स्थित स्थानीय कार्यालयों का निरीक्षण मास में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए और वह भी विस्तृत ढंग से निर्धारित प्रोफार्मे में जो इस कार्यालय के दिनांक······के ज्ञापन संख्या ······द्वारा भेजा गया था।

The Regional Director is advised that the Local Offices situated in Regional Headquarters should invariably be inspected once in a month and that too in a detailed manner in the prescribed proforma sent under this office memorandum No..........dated.........

10. अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि बाहर स्थित स्थानीय कार्यालयों के निरीक्षण के लिए दौरे आयोजित करते समय वे उन मामलों को भी साथ मिला लें जिन पर उस क्षेत्र में निकटवर्ती क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि दौरा उपयोगी रहे और किफायत भी हो।

Officers are advised that while planning tours for inspection of the out station Local Offices, other matters requiring attention in that area/contiguous areas also may be taken together to make the visit fruitful and economical.

11. ···पहुंचने पर यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उपस्थानीय कार्यालय इसलिए कार्य नहीं कर रहा क्योंकि प्रभारी लिपिक अर्जित अवकाश पर चला गया था। अस्थायी तौर पर इसे भुगतान कार्यालय का रूप दे दिया गया था। हर दूसरे दिन पास के नगर के स्थानीय कार्यालय से खजांची दावे इकट्ठे करने और······स्थानीय कार्यालय द्वारा किए गए दावों का भुगतान करने······जाता था।

It was surprising to learn on arrival at.........that the sub-Local Office was not functioning because the clerk-incharge had gone on earned leave. It had been temporarily converted into a Pay Office. A cashier from the local office of a neighbouring town visited.........on alternative days to collect claims and to make payments on claims which had been passed at.........Local Office.

12. यह मालूम हुआ है कि ···········(नगर) में कार्यभारी सहायक को बार-बार अनुपस्थिति से बीमाकृत व्यक्तियों में काफी रोष है। उनके दावों के निपटान में उप-स्थानीय कार्यालय द्वारा हो रही गम्भीर देरी के खिलाफ वे पहले ही शिकायतें कर रहे थे।

It is understood that frequent absence of the Assistant incharge had caused great resentment among the insured persons in.........(town). They were already complaining against serious delays in settlement of their claims through the sub Local Office.

13. बीमाकृत व्यक्ति का मूल पत्र क्षेत्रीय निदेशक············को प्रेषित किया जा रहा है। क्षेत्रीय निदेशक को विचाराधीन पत्र को प्रति बीमाकृत व्यक्ति द्वारा पहले ही भेज दी गई है। उनसे निवेदन है कि वह अपनी ओर से उस पर टिप्पणी सहित मामले के पूरे-पूरे तथ्य शीघ्र भेजें। वह बीमाकृत व्यक्ति का मूल पत्र भी वापस लौटाए।

The Insured Person's letter in original is forwarded to the Regional Director........./to whom a copy of letter under consideration has already been sent by the insured person. He is requested to furnish the full facts of the case along with his comments thereon urgently and also to return the Insured Person's letter in original.

14. उपर्युक्त विषय पर सामाजिक सुरक्षा विभाग के पत्र संख्या········ दिनांक········के अनुक्रम में मुझे आपको यह सूचित करना है कि आपके मामले पर ध्यानपूर्वक पुनर्विचार किया गया है किन्तु खेद है कि क्षेत्रीय निदेशक द्वारा लिए गए निर्णय को बदलने की गुंजाइश नहीं है।

In continuation of Department of Social Security letter No. ....dated............on the above subject, I have to inform you that your case has been carefully re-considered but it is regretted that there is no scope for altering the decision of the Regional Director.

15. माननीय श्रम तथा रोजगार मन्त्री नई दिल्ली को सम्बोधित बीमाकृत व्यक्ति का पत्र संख्या··········दिनांक··········संलग्न है। क्षेत्रीय निदेशक से निवेदन है कि वह उस पर अपनी ओर से टिप्पणी के साथ मामले के पूरे तथ्य बताए और बीमाकृत व्यक्ति का मूल पत्र भी वापस भेज दे।

Enclosed may please be found the Insured Person's letter No. ....dated............in original addressed to the Hon'ble Minister for Labour and Employment, New Delhi. The Regional Director is requested to intimate the full facts of the case alongwith his comments thereon urgently and also to return the Insured Person's letter in original.

16. स्थानीय कार्यालयों में पीने के पानी, पंखे आदि की सुविधाओं के अभाव की शिकायतें बीमाकृत व्यक्तियों ने कभी-कभी की हैं। हिताधिकारियों के लिए इन प्राथमिक सुविधाओं की आवश्यकता के महत्व पर बल देने की आवश्यकता नहीं।

Complaints have sometimes been made by the insured persons about the absence of facilities like drinking water, fans etc. at the local offices. The importance of the need for these elementary facilities for beneficiaries need hardly be emphasized.

17. बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों में अनावश्यक विलम्ब बचाने के लिए यह निश्चय किया गया है कि शिकायतों से सम्बन्धित सारे पत्राचार में ऊपर दाएं कोने में "शिकायत-तीन/सात दिन के भीतर ही उत्तर दें" ये शब्द बड़े अक्षरों में अनिवार्य रूप से (अवश्य) टाइप किए जाने चाहिए।

In order to avoid unnecessary delays in respect of complaints lodged by the insured persons, it has heen decided that the words "COMPLAINT —REPLY OUT WITHIN 3 /7 DAYS." should invariably be typed in bold letters on the right hand top corner on all the correspondence dealing with the complaints.

18. बीमाकृत व्यक्तियों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रचार हेतु "क्या आप इनसे परिचित हैं" शीर्षक पुस्तिका (पैम्फलेट) अंग्रेजी तथा हिन्दी में तैयार की गई हैं। पैम्फलेट की प्रतियाँ सीमित संख्या में होने के कारण कुछ प्रतियाँ सभी क्षेत्रीय निदेशकों को अलग से भेजी जा रही हैं।

A pamphlet 'Have you met them before' has been brought out in English and Hindi for purpose of publicity of the E.S.I. Scheme among the insured persons. As the number of copies of the pamphlet is limited, a few copies are being despatched to all Regional Directors separately.

19. इस समय स्थानीय भाषा में यह बतानेवाले परचे कि झूठा व्यौरा देना अपराध है, बीमाकृत व्यक्तियों में इसलिए बांटे जाते हैं ताकि उन्हें गलत बयानी के परिणामों का पता चल सके। स्थानीय कार्यालयों में काउन्टरों पर इस सम्बन्ध में रोगन से लिखी (पेंट हुई) सूचनाएं भी लगाई गई हैं।

At present leaflets explaining in the local language that it is an offence to make false declaration are distributed among the insured persons so as to make them aware of the consequences of wrong declarations. Painted notices to this effect are also displayed at the counters of the local offices.

20. यह देखा गया कि स्थानीय कार्यालय में कहीं भी कोई छपे या हाथ से लिखे पोस्टर नहीं लटकाए गए थे। स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक को सलाह दी गई कि वह गत्ते पर अच्छी प्रकार चिपके हिन्दी और उर्दू में हाथ से लिखे हुए कुछ पोस्टर टंगवा दे, विशेष रूप से उस कमरे में जहां बीमाकृत व्यक्ति अपने दावों आदि की अदायगी के सम्बन्ध में आते जाते हैं।

It was observed that there were no posters, printed or hand-written, hung any where in the Local Office. The Local Office Manager was advised to hang up a few hand-written Hindi and Urdu posters duly pasted on card boards, particularly in the room to which the insured persons have frequent access in connection with the payment of their claims etc.

21. मैं आपका ध्यान कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 76 के अन्तर्गत अपील न्यायाधिकरण की स्थापना बाबत इस कार्यालय के इसी संख्या वाले पत्र दिनांक......की ओर आकर्षित करता हूँ तथा यह निवेदन करता हूँ कि उस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की सूचना शीघ्र दें।

I have to invite your attention to this office letter of even number dated............regarding setting up of Appeal Tribunals under Regulation 76 of the Employees' State Insurance (General) Regulation 1950 and to request that action taken in the matter may kindly be intimated at an early date.

22. जहां लेटर बक्स लगाए गए हैं (पत्र-पेटी रखी गई है) उन पर क्षेत्रीय भाषा में यह सूचना लगा देनी चाहिए :

(क) प्रमाण-पत्र स्वयं देना अधिक अच्छा है।

(ख) यदि प्रमाण-पत्र बक्से में डाला जाए तो उसका दावे वाला अंश अवश्य

भर देना चाहिए जिसमें यह स्पष्ट हो कि अदायगी मनीआर्डर द्वारा चाहिए या नहीं।

Where letter boxes are provided a notice should be displayed on them in the Regional language stating that :

(a) It is preferable to handover the certificate personally.

(b) If a certificate is dropped in the box the claim part must be completed indicating clearly whether or not the payment is required by money order.

23. चिकित्सा लाभ परिषद् के विशिष्ट कार्यों को देखते हुए. इस निकाय में चिकित्सा विशेषज्ञों को और अधिक प्रतिनिधित्व देना वाञ्छनीय होगा। केन्द्रीय सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए कि वह परिषद् के लिए औषध, छाती, शल्य चिकित्सा, विकलांग विद्या तथा देसी चिकित्सा पद्धति के पांच चिकित्सा विशेषज्ञों को मनोनीत कर सके।

Considering the specific functions of the Medical Benefit Council, it would be desirable to give more representation to medical experts on this body. The Central Government should have powers to nominate on the Council five medical experts who may be specialists in Medicine, Chest, Surgery, Orthopedics and indigenous system of medicine.

24. स्थायी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों को सवारी-भत्ता मिलता है जब उन्हें चिकित्सा निर्देशी के सम्मुख उन मामलों में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है जिसमें प्रमाण-पत्र की सत्यता के सम्बन्ध में विवाद हो।

In pursuance of the Resolution passed by the Standing Committee, conveyance allowance is payable to insured persons when called upon to appear before the Medical Referee in cases where the correctness of the certificate is in dispute.

25. चूंकि नकद लाभ मनीआर्डर द्वारा निगम के खर्चे पर भेजने की रियायत स्थायी तौर पर दे दी गई है इसलिए मनीआर्डर कमीशन पर हुए खर्चे का······को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का विवरण अब आवश्यक नहीं है।

Since the concession of remitting cash benefits by Money Order at the cost of the Corporation has been made on permanent basis, statement showing the expenditure on Money Order commission during the financial year ending ....is not required now.

क—शब्दावली (Glossary)

absence अनुपस्थिति, गैरहाजिरी
abstension from work काम पर न आना/जाना
abstract सार, सारांश
acceleration of disease रोग का अधिक हो जाना
accept स्वीकार करना
accident frequency rate दुर्घटना आवृत्ति दर
accident report दुर्घटना रिपोर्ट/सूचना
accumulate संचित/इकट्ठा होना
accuracy of statement कथन की यथार्थता/का सही होना
Act अधिनियम
act कार्य
action कार्रवाई
added peril अतिरिक्त जोखिम
adjustment समंजन, समायोजन
administration of drugs दवाइयों का प्रयोग
affidavit शपथपत्र, हलफनामा
after care बाद की देखभाल
aggravation of का बढ़ना
allotment of insurance numbers बीमा संख्याओं का नियतन
alternative evidence वैकल्पिक साक्ष्य/प्रमाण
amount realised वसूल की गई रकम
annexe उपभवन
antecedents पूर्ववृत्त
appeal अपील
Appellate Medical Board अपीलीय चिकित्सा बोर्ड
Appointed-Day नियत दिवस
appropriate office उचित कार्यालय
arrears 1. बकाया, 2. बचा हुआ काम
artificial limbs कृत्रिम अवयव/अंग
assessment of disability अशक्तता निर्धारण
at par सम
autonomous body स्वायत्त निकाय
average wage औसत मजदूरी
balance शेष, बाकी, बकाया
beneficiary हिताधिकारी, लाभाधिकारी
benefit लाभ, हित, सुविधा
benefit file लाभ सम्बन्धी मिसिल/फाइल
benefit period लाभ अवधि
blank form कोरा फार्म
block of insurance numbers बीमा संख्याओं के वर्ग
Board बोर्ड, मण्डल
calculation गणना
capacity क्षमता, सामर्थ्य
capitation fee प्रतिव्यक्ति फीस/शुल्क

cash benefit नकद लाभ
cash remittance नकदी प्रेषण
category वर्ग, श्रेणी
centre केन्द्र
central rules केन्द्रीय नियम
certificate box प्रमाणपत्र बक्स
certificate, 1st/intermediate/final/death/medical/identification प्रथम/माध्यवर्ती/अन्तिम/मृत्यु/चिकित्सा/पहचान प्रमाण-पत्र
certification प्रमाणन
cessation of employment रोजगार की समाप्ति
challan चालान
chronological order काल-क्रम
claim दावा
claimant दावेदार, दावी
classification वर्गीकरण
class of establishments स्थापना वर्ग
clause खंड, धारा
clinic निदान शाला
code number संकेत संख्या
comments टिप्पणी
commercial व्यापारिक, वाणिज्यिक
commissioner आयुक्त
commuted value रूपान्तरित मूल्य
compensation क्षतिपूर्ति, मुआवजा
complaint शिकायत
confidential गोपनीय
confinement प्रसव
consecutive क्रमिक, लगातार
construction निर्माण
contagious disease छूत का रोग, संक्रामक रोग
contiguous area संलग्न क्षेत्र, निकटस्थ क्षेत्र
contingency आकस्मिकता, प्रासंगिकता
continuation sheet साथ लगा कागज, अनुवर्ती कागज
contract for service नौकरी के लिए करार
contractor's employees ठेकेदार के कर्मचारी
contribution अंशदान
contribution card अंशदान कार्ड
contribution period अंशदान अवधि
contribution stamp अंशदान टिकट
contributory negligence योगदायी प्रमाद/गफलत
control chart नियन्त्रण चार्ट
convicted सिद्ध दोष
conviction दोष सिद्धि
Corporation निगम
correction slip शुद्धि-पत्रक
counter claim जवाबी दावा, प्रति दावा
countersignature प्रतिहस्ताक्षर
countersigned प्रतिहस्ताक्षरित
coverage व्याप्ति

covered under the Act अधिनियम के अन्तर्गत/अधीन आया हुआ
covered factory अन्तर्गत आया कारखाना
debarred वारित
decision निर्णय
Declaration Form, defective त्रुटिपूर्ण घोषणापत्र
defaulter चूक कर्त्ता, बकायादार
delegation of powers शक्तियों को दे देना/सौंपना, अधिकार देना
dependents आश्रित
Dependents' Benefit आश्रितजन लाभ
diagnosis निदान करना
diagnostic centre नैदानिक केन्द्र
disablement अशक्तता, विकलांगता
disability अशक्तता
disbursement संवितरण
discharge from work काम से बरखास्त करना/हटाना
dispute विवाद
disqualified अनर्हीकृत
docket डाकेट
documentry evidence दस्तावेजी साक्ष्य
documents कागजात, दस्तावेज, प्रलेख
double registration दोहरी रजिस्ट्रेशन
duplicate identity card अनुलिपि पहचान पत्र
duration अवधि, मियाद, दौरान
earning capacity अर्जन क्षमता
employees' contribution कर्मचारी अंशदान
Employees' Insurance Court कर्मचारी बीमा न्यायालय
Employees' State Insurance Dispensary कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पैन्सरी/औषधालय
employer special contribution नियोजक विशेष अंशदान
employment रोजगार, काम, नौकरी
employment injury रोजगार चोट
enforcement लागू करना, प्रवर्तन
establishment स्थापना
evidence साक्ष्य, गवाही
exemption विमुक्ति, छूट
exit card निर्गम पत्र
ex-officio पदेन
expected confinement प्रत्याशित प्रसव
expert opinion विशेषज्ञ राय
ex-post-facto approval कार्योत्तर अनुमोदन
extend बढ़ाना, विस्तार, लागू करना
extended sickness benefit विस्तारित बीमारी लाभ
extension of the ESI Act कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का विस्तार/को लागू करना
extent सीमा
facsimile signature प्रतिकृति हस्ताक्षर

factory कारखाना, फैक्टरी
factory premises फैक्टरी स्थान/ परिसर/अहाता
factory worker कारखाना श्रमिक
false statement झूठा/मिथ्या कथन
Family Identity Card परिवार पहचान पत्र
fatal accident घातक दुर्घटना
female स्त्री, मादा
first aid प्राथमिक चिकित्सा
franking machine अंकन मशीन
hospitalisation अस्पताल में भर्ती
identification शिनाख्त, पहचान
identity card पहचान पत्र
identity slip पहचान पर्ची
immediate employer आसन्न नियोजक
implementation of the Scheme योजना का कार्यान्वयन
implemented area कार्यान्वित क्षेत्र
incapacity असामर्थ्य
incapacity reference असामर्थ्य निर्देश
indemnification क्षतिपूर्ण
index card सूचक कार्ड
industrial area औद्योगिक क्षेत्र
industrial establishment औद्योगिक स्थापना
initial registration प्रारम्भिक रजिस्ट्रेशन
injured person आहत व्यक्ति
injury चोट
injury, fatal/minor/serious घातक/ मामूली/गम्भीर चोट
inspection निरीक्षण
instalment number किश्त नम्बर
insurablee mployment बीमा योग्य रोजगार/नौकरी
insurable population बीमा योग्य जनसंख्या
insurance number बीमा संख्या
insured person बीमाकृत व्यक्ति
insured population बीमाकृत जनसंख्या
inter-regional transfer अन्तःक्षेत्रीय तबादला
invalidated अमान्य किया गया
investigating officer जांच-पड़ताल अधिकारी
investigation जांच पड़ताल
Judicial enquiry अदालती जांच
jurisdiction अधिकार क्षेत्र
labour court श्रम न्यायालय
labourer श्रमिक, मजदूर
lax certification प्रमाणन में ढील
leaflet पर्चा, पत्रक
legitimate वैध, विधिसम्मत
levy उगाहना
liabilities दायित्व, दायिता
liquidation समापन
loading-unloading लदान-उतराई
local audit स्थानीय लेखापरीक्षण
Local Committee स्थानीय समिति

location स्थल, स्थान, जगह
loss of earning capacity उपार्जन क्षमता की हानि
loss of wages मजदूरी की हानि
lumpsum एक राशि, एक मुश्त
machine मशीन
major वयस्क, बालिग
male पुरुष, नर
malignant diseases विषालु/दुर्दम्य रोग
manufacturing process निर्माण प्रक्रिया
marital status वैवाहिक स्थिति
maternity प्रसूति
maternity benefit प्रसूति लाभ
Medical Acceptance Card चिकित्सा स्वीकृति कार्ड
medical aid चिकित्सा/डाक्टरी सहायता
medical arrangement चिकित्सा प्रबन्ध/व्यवस्था
medical benefit चिकित्सा/डाक्टरी लाभ
Medical Benefit Council चिकित्सा लाभ परिषद्
Medical Board चिकित्सा बोर्ड
medical care डाक्टरी देखरेख
medical certificate चिकित्सा/ डाक्टरी प्रमाण पत्र
medical checkup डाक्टरी जांच
medical practitioner चिकित्सा व्यवसायी/कर्मी
Medical Record Card चिकित्सा ब्यौरा कार्ड
Medical Record Envelope चिकित्सा ब्यौरा लिफाफा
mental diseases मानसिक रोग
midwife दाई, धात्री
minor नाबालिग, अवयस्क
natal care, pre/post प्रसवपूर्व/ प्रसवोत्तर देखभाल
negligence प्रमाद, उपेक्षा, असावधानी
negligence, contributory योगदायी प्रमाद
negligence, gross घोर प्रमाद
night shift रात की पारी
nominee नामित
non-commercial अव्यापारिक
non-competitive अप्रतियोगी
notice of accident दुर्घटना की सूचना
notification अधिसूचना
numerical order संख्या क्रम
oath शपथ
occupation धंधा, उपजीविका, व्यवसाय
occupational disease व्यावसायिक रोग
opposite party प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षी
option विकल्प
organisation संगठन, संस्था
owner स्वामी
ownership स्वामित्व

panel system नामिका पद्धति
partial disablement benefit आंशिक अशक्तता लाभ
payment of benefit लाभ का भुगतान/अदायगी
payment of wages मजदूरी/मजूरी की अदायगी
percentage of loss of earning capacity अर्जन क्षमता की हानि का प्रतिशत
perennial factory बारहमासी कारखाना
peril, added अतिरिक्त जोखिम
permanent total disability स्थायी पूर्ण अशक्तता
period अवधि, काल, समय
periodicity कालक्रम, आवधिकता
periodic visits आवधिक निरीक्षण
power शक्ति, बिजली
practice व्यवहार, व्यवहारगत
practitioner व्यवसायी/कर्मी
precedent पूर्व उदाहरण, नजीर
precincts प्रसीमा
pregnancy सगर्भावस्था
preliminaries प्रारम्भिक तैयारियां
premises, factory कारखाने का अहाता
presiding officer प्रधान अधिष्ठाता
preventive measures निवारक उपाय
principal employer प्रधान नियोजक

procedure कार्य विधि, प्रक्रिया
process, manufacturing निर्माण प्रक्रिया
progress control chart प्रगति नियंत्रण चार्ट
proof प्रमाण
prosecute अभियोजन करना, मुकदमा चलाना
prosecution अभियोजन, चालान
provisional अनन्तिम, अस्थायी
provisions उपबन्ध, व्यवस्था
protection सुरक्षा, बचाव, संरक्षण
proviso परन्तुक, शर्त
provoke उत्तेजित करना
publicity प्रचार
punching छिद्रण
punishment दण्ड
pursuance अनुसरण
quadruplicate चौहरा, चारप्रतियां
quorum कोरम, गणपूर्ति
readjustment पुनर्समंजन
reconstitution पुनर्गठन
recovery वसूली
reduction कमी, कटौती
reemployment पुनर्नियुक्त, दुबारा काम देना
refund धन वापसी
Regional Board प्रादेशिक बोर्ड
registered पंजीकृत, रजिस्टर्ड
registration पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन
re-imbursement प्रतिपूर्ति
re-insurance पुनर्बीमा

relaxation छूट, ढील, रियायत
remit भेजना
removal from service नौकरी से हटाया जाना
remuneration पारिश्रमिक
reorganisation पुनर्गठन
report, annual वार्षिक रिपोर्ट/प्रतिवेदन
representation अभिवेदन
resentment रोष
restricted medical care सीमित चिकित्सा देखभाल
resumption of work काम का पुनरारम्भ
return विवरणी, वापसी
revalidation फिर से वैध बनाना
revenue demarcation राजस्व सीमांकन
Review Committee पुनरीक्षण समिति
right अधिकार
rubber stamp रबड़ की मोहर
safety device सुरक्षा साधन
safety guard सुरक्षा गार्ड, बचाव रोक
schedule अनुसूची, सारणी
scheme योजना
seasonal factory मौसमी कारखाना/ऋतुकालिक फैक्टरी
security सुरक्षा
setting up of को स्थापित करना

settlement निश्चय, निपटारा, समझौता
sets A,B,C सेट/वर्ग क, ख, ग
shift पारी
sickness बीमारी
sickness benefit बीमारी लाभ
skilled workman कारीगर
sparse area अल्पजन क्षेत्र, कम आबादी वाला क्षेत्र
specialist विशेषज्ञ
specified निर्दिष्ट, उल्लिखित
specimen signature नमूना हस्ताक्षर
spell दौर, आवेग
sphere of duty कार्य-क्षेत्र
Standing Committee स्थायी समिति
State राज्य
statement बयान, कथन
stress & strain of work काम का भार और अतिश्रम
subscription चन्दा, अभिदान
succession certificate उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
surety जामिन
suspend निलंबन करना, मुअत्तल करना
suspension निलंबन
target date लक्ष्य तिथि
temporary disablement benefit अस्थायी अशक्तता लाभ
term पद, मियाद, अवधि, शर्त, नियम

time barred कालबाधित
Trade Union श्रमिक संघ, मजदूर संघ
Tribunal अधिकरण
tripartite body त्रिपक्षीय/त्रिदल निकाय
unemployment insurance बेरोजगारी/बेकारी बीमा
valuation मूल्यन, मूल्यांकन
viscera अभ्यन्तरांग
visible injury प्रत्यक्ष/दृश्य चोट
wage bill मजदूरी/मजूरी बिल
wages मजदूरी/मजूरी
waiting period प्रतीक्षा काल
waiving of recovery वसूली छोड़ देना
want of evidence साक्ष्याभाव
weeding out छंटनी
wholetime dispensary पूर्णकालिक डिस्पैन्सरी/औषधालय
wilful disobedience जान बूझ कर अवज्ञा
with retrospective effect पहले से, पूर्व व्याप्ति सहित
worker कर्मकार, श्रमिक, कर्मी, कामगार
workman कारीगर, कर्मकार
write off बट्टे खाते में डालना
zone क्षेत्र

ख – कार्यालयों/शाखाओं के नाम तथा पदनाम
(Names Of Offices/Branches & Designations)

Accounts Branch लेखा शाखा
Accounts Officer लेखा अधिकारी
Accounts Officer, Assistant/Deputy/Chief लेखा अधिकारी, सहायक/उप/मुख्य
Actuarial Branch बीमांकन शाखा
Actuary बीमांकक
Actuary, Assistant सहायक बीमांकक
Administration Branch प्रशासन शाखा
Administrative Medical Officer प्रशासन चिकित्सा अधिकारी
Administrative Officer प्रशासन अधिकारी
Auditor लेखापरीक्षक
Audit Section लेखापरीक्षण अनुभाग
Benefit Branch लाभ शाखा
Cash Section रोकड़ अनुभाग
Chief Medical Officer प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
Construction Branch निर्माण शाखा
Coordination Unit समन्वय एकक
Department of Social Security सामाजिक सुरक्षा विभाग
Despatch Section प्रेषण अनुभाग
Director General महानिदेशक
Director General, Additional अपर महानिदेशक
Employees' State Insurance Corporation कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Establishment Section स्थापना अनुभाग
Financial Adviser वित्त सलाहकार
General Section सामान्य अनुभाग
Headquarters Office प्रधान कार्यालय, मुख्यालय
Hospital Superintendent अस्पताल अधीक्षक
Incharge प्रभारी
Insurance Branch बीमा शाखा
Insurance Commissioner बीमा आयुक्त
Insurance Commissioner, Assistant/Deputy/Joint सहायक/उप/संयुक्त बीमा आयुक्त,
Insurance Inspector बीमा निरीक्षक

Insurance Medical Officer बीमा चिकित्सा अधिकारी
Insurance Medical Practitioner बीमा चिकित्सा व्यवसायी
Inspectorate (Inspection) Office निरीक्षण कार्यालय, निरीक्षक का कार्यालय
Legal Adviser विधि सलाहकार, कानूनी सलाहकार
Legal Branch विधि शाखा
Liaison Officer सम्पर्क अधिकारी
Local Office स्थानीय कार्यालय
Local Office Manager स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक
Local Office, sub उपस्थानीय कार्यालय
Medical Branch मेडिकल चिकित्सा शाखा
Medical Commissioner मेडिकल कमिश्नर
Medical Referee चिकित्सा निर्देशी
Ministry of Labour & Employment श्रम तथा रोजगार मंत्रालय
Officer on Special Duty विशेष कार्य अधिकारी, विशेषाधिकारी
Pay Office भुगतान कार्यालय
Provident Fund Section भविष्य निधि अनुभाग
Regional Assistant Accounts Officer क्षेत्रीय सहायक लेखा अधिकारी
Regional Director क्षेत्रीय निदेशक
Regional Office क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office, sub उप क्षेत्रीय कार्यालय
Registration Branch पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन शाखा
Reorganisation Cell पुनर्गठन कक्ष
Vigilance Branch चौकसी सतर्कता शाखा